उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्रांक - सी-23 /लेखा/2017-18 दिनॉक- 22.5-17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–115/लेखा/2016–17 दिनांक 27.02.17 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 28.02.2017 से दिनांक 04.03.2017 तक की अवधि में वसूल की गयी धनराशि को प्रधान कार्यालय न प्रेषित कर वेतन भुगतान में उपयोग किया जाए एवं दिनांक 06.03.2017 से बैंक के परिपत्र संख्या–सी–108/लेखा/2016–17 दिनांक 06.02.2017 के अनुसार वसूली का 50 प्रतिशत धनराशि प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

बैंक की वित्तीय समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त का समयबद्ध भुगतान, उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे संस्थापन व्ययों एवं सेवानैवृत्तिक देयों का समय पर भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस बढती हुई वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि प्रधान कार्यालय को वसूली से प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि की जाए ताकि उक्त व्ययों के भुगतान में बैंक सक्षम हो सकें।

इसके पूर्व बैंक के परिपत्र संख्या–सी–99/लेखा/2016–17 दिनांक 24.12.16 द्वारा वसूली की धनराशि का 80 प्रतिशत प्रधान कार्यालय प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया था। अतः इस परिपत्र के अनुरूप पुनः व्यवस्था संस्थापित करने हेतु प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–108/लेखा/2016–17 दिनांक 06.02.2017 मे संस्थापित व्यवस्था को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक शाखा द्वारा मासिक वसूली के सापेक्ष शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करते हुए पूर्व निर्धारित सीमा 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत धनराशि प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि का उपभोग ऋण वितरण प्रबन्धकीय व्यय व अन्य मदो में किया जाएगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

उक्त निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

भवदीय

22/5/17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलीय/जिला पर्यवेक्षक अधिकारी, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शाखा द्वारा वसूली की गयी धनराशि का निरन्तर समीक्षा करते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
2–प्राचार्य, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3–समस्त अधिकरीगण, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0प्रधान कार्यालय लखनऊ।
4–उप महाप्रबन्धक(कम्प्यू0) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

22/5/17

प्रबन्ध निदेशक